

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 5/2018 एफ एस एस ए एक्ट

- सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हनुमान सहाय गुप्ता एफबीओ मैसर्स— ओम ट्रेडर्स, हॉलसेल मार्केट, सुन्दरदास मार्ग, जिला दौसा ।

— अभियुक्त—

जूर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :-

दिनांक 21.2.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 17.7.2017 को दोपहर 03:00 बजे मैसर्स—अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, आजाद चौक, लालसोट जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हनुमान सहाय गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ का लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक प्लास्टिक खुले मुंह के कट्टे में करीबन 30 किग्रा हल्दी पाउडर (लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये था, में मिलावट का शक होने पर इसमें से एक लोहे के पलटे से हिलामिलाकर नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा हल्दी पाउडर (लूज) खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक थैली में तौलकर दिया जिसकी कीमत 220 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा हल्दी पाउडर (लूज) को चार साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर डालकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1702 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार-चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 5/2018 एफ एस एस ए एक्ट

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 18.7.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज 0 जयपुर के यहा जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.7.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.7.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं 0 एल.एस./1605/एक्ट/2017/1676 दिनांक 2.8.2017 डी.ओ. एवं सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर स्वयं बहस की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) को चक्की पर पिसवाया जाता है। चक्की पर अन्य कई खाद्य पदार्थो को भी पिसवाया जाता है, इसलिये उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) में हमने कोई मिलावट नहीं की है। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को झोप फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1605/एक्ट/2017/1676 दिनांक 2.8.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड व नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) व (V) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति 0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा



प्रकरण संख्या : 5/2018 एफ एस एस ए एक्ट

उपरोक्त विवचेन के आधार पर अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हनुमान सहाय गुप्ता एफबीओ मैसर्स- ओम ट्रेडर्स, हॉलसेल मार्केट, सुन्दरदास मार्ग, दौसा जिला दौसा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) सबस्टैंडर्ड का विक्रय करने एवं नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 के उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) का दोषी है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हनुमान सहाय गुप्ता एफबीओ मैसर्स- ओम ट्रेडर्स, हॉलसेल मार्केट, सुन्दरदास मार्ग, दौसा जिला दौसा पर 10000/- (अक्षरे दस हजार) रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 21.2.2018 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।



निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया

(राजवीर सिंह चौधरी) एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 23.2.2018

क्रमांक / 8232-34

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हनुमान सहाय गुप्ता एफबीओ मैसर्स- ओम ट्रेडर्स, हॉलसेल मार्केट, सुन्दरदास मार्ग, दौसा जिला दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा